न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./146/2024/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. गोविन्दराम पुत्र श्री जुगताराम, जाति पुरोहित, निवासी मनणावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 2. सुन्दर देवी पुत्री जुगताराम पत्नी बींजराज सिंह, राजपुरोहित, निवासी सोढों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 3. बायादेवी उर्फ हंजादेवी पुत्री जुगताराम पत्नी रूपसिंह, जाति पुरोहित, निवासी कालुड़ी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 4. सीमादेवी पुत्री जुगताराम पत्नी ठाकरसिंह, जाति पुरोहित, निवासी कालुड़ी, तहसील पचपदरा, जाति बालोतरा। 5. सुखा देवी पुत्री जुगताराम पत्नी भोपसिंह, जाति पुरोहित, निवासी इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।	1. गोदसिंह पुत्र पन्नेसिंह, जाति राजपूत, निवासी वरिया भगजी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 2. देवीसिंह पुत्र उतमसिंह, जाति राजपूत, निवासी कितपाला, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 3. राजेन्द्र निम्बार्क पुत्र बद्रीदास, जाति संत, निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 4. केसीलाल पुत्र लालूराम उर्फ कालूराम, जाति पुरोहित, निवासी इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। 5. पोकर सिंह पुत्र लालूराम उर्फ कालूराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। 6. भंवराराम पुत्र लालूराम उर्फ कालूराम, जाति पुरोहित, निवासी इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। 7. किस्तुरसिंह पुत्र प्रतापराम, जाति पुरोहित, निवासी मनणावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 8. परागसिंह पुत्र दुर्गसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी मनणावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 9. कुम्भसिंह पुत्र दुर्गसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी मनणावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 10. लाधूसिंह पुत्र दुर्गसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी मनणावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 11. मांगाराम पुत्र भोमाराम, जाति पुरोहित, निवासी मनणावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा। 13. अभयपसिंह पुत्र रामसिंह, जाति पुरोहित, निवासी मनणावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 68/2014 (2014/00010) बउनवान गोदसिंह बनाम गोविन्दराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति–

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री देवीसिंह महेचा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, से 3 की ओर से।
3. वकील श्री डूंगरसिंह नामा रेस्पोंडेन्ट संख्या 06 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–28.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 से 03 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बालोतरा में कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1043 क्षेत्रफल 36.05 बीघा व खसरा संख्या 1050 रकबा 32.10 बीघा भूमि आई हुई है। जिसमें वादी संख्या 1 का 40/1375, वादी संख्या 02 का 40/1375, वादी संख्या 03 का 80/1375 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 से 03 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बालोतरा में कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1043 क्षेत्रफल 36.05 बीघा व खसरा संख्या

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1050 रकबा 32.10 बीघा भूमि आई हुई है। जिसमें वादी संख्या 1 का 40/1375, वादी संख्या 02 का 40/1375, वादी संख्या 03 का 80/1375 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर बाद तामील अपीलांट उपस्थित होकर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक तथ्यों की व्याख्या के ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि संगत नहीं है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर रेस्पों./वादीगण का कभी भी कब्जा–काश्त नहीं रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट लगातार निर्विवादित काबिज–काश्त चले आ रहे है। उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रतिपवाद खारिज किया था जो विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। अपीलाधीन वाद पत्र पेश किया था, उसमें रामाराम पुत्र भोमाराम को पक्षकार बनाया, तंदोपरान्त रामाराम का देहान्त हो जाने से उसके वारिसान के तौर पर मांगीलाल पुत्र भोमजी को वारिस बनाकर प्रकरण की कार्यवाही आगे बढाई, जबकि रामाराम का प्रथम श्रेणी का वारिस गोदपुत्र अभयसिंह था, जो प्रथम पक्षकार है, जिन्हें बंटवारा के बाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, आवश्यक पक्षकार के अभाव में वादपत्र चलने योग्य नहीं था, अभयसिंह के पक्ष में दिनांक 05.06.2020 को पंजीकृत गोदनामा निष्पादित किया हुआ था। किन्तु उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त के अतिरिक्त अपीलाधीन वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, पक्षकार प्रतापाराम की मृत्यु वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुकी थी। इस कारण वादपत्र चलने योग्य ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों एवं तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को समुचित अवसर प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
डाडमेर

हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 से 03 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बालोतरा में कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1043 क्षेत्रफल 36.05 बीघा व खसरा संख्या 1050 रकबा 32.10 बीघा भूमि आई हुई है। जिसमें वादी संख्या 1 का 40/1375, वादी संख्या 02 का 40/1375, वादी संख्या 03 का 80/1375 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा हैं। रेस्पोडेन्ट्स (वादी) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलियें सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार प्राप्त हुआ है। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलांट्स को सम्मन प्रेषित किये गये थे जिसकी बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी जरिये वकालतनामा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की हस्तगत पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा वकालतनामा पेश करने के बाद पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद वकील द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर विधि संगत आदेश करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। रेस्पों./वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी आराजी के बंटवारे के लिये वाद प्रस्तुत किया गया था जबकि अपीलांट खातेदारी घोषणा का अनुतोष हस्तगत अपील द्वारा चाह रहा है जो विधि द्वारा बाधित है। जहां तक अभयसिंह को पक्षकार संयोजित किये जाने का प्रश्न है उक्त के संबंध में निवेदन है कि अपीलाधीन दावा वर्ष 2014 में संस्थित हुआ था जिसका अपीलाधीन निर्णय वर्ष 2024 में हुआ। अभयसिंह वर्ष 2020 में गोद गये, अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अवधि के दोरान बावजूद जानकारी के गोदनाम कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में उक्त प्रश्नगत गोद नामें का जिक्र किया। वर्तमान में अभयसिंह को हस्तगत अपील में पक्षकार संयोजित किया जा चुका है अतः अपीलांट के उक्त उज्र को कोई सार प्रतीत नहीं होता है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस् की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट्स/प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये वकालतनामा के उपस्थित हुआ है। उसके बाद प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जिस आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा उपस्थित नहीं आने के संबंध में उक्त कथनों का कोई सार नहीं है। जहां तक मृत पक्षकार प्रतापराम का प्रश्न है उसके संबंध यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय में प्रतापराम के विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित किया गया है। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विवाद जाहिर नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांट जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय की पालना में विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया प्रतीत होता है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्रांथमिक डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट की सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 68/2014 (2014/00010) बउनवान गोदसिंह बनाम गोविन्दराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

28/10/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/10/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर